

न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर  
भोरे लाल बनाम फणू कौठ

(4)

19/9/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकील  
वादी डपण वकील वादी ने प्रार्थना  
पत्र पेश किया शां मिठे। वकील  
वादीगण अपनी पूर्ण स्वेच्छा से वाद  
को आगे नहीं चलायना चाहते हैं  
तथा दावा वादीगण नोट प्रेस करने  
चाहते हैं

अतः वाद वादीगण नोट प्रेस  
(NOT PRESS) में प्रार्थना पत्र के  
आधार पर शरीज किया जाता है  
पत्रावली बाद तकमील दाविलु दफ्तर  
से समाया गया।

सहायक कलक्टर  
अलवर (राज०)

2017

28

मोले लाल

Not Press

मोले लाल

सुभा